

CET-BED-2019

स्टेट स्पॉट राउंड

(State Spot Round) (SSR)

(A) स्टेट स्पॉट राउंड में भाग लेने के लिए आवश्यक अहर्ता/शर्तें(Eligibility Conditions)

:- स्टेट स्पॉट राउंड में निम्नांकित प्रकार के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-

1. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए दिनांक 24/ 3/ 2019 से 5/ 4/ 2019 के बीच, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे।
2. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर सके थे, परंतु उन्हें कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था।
3. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो किया था और जिन्हें कॉलेज भी आवंटित हुआ था, परंतु कॉलेज आवंटन के बाद काउंसलिंग शुल्क(Counselling Fee) जमा नहीं कर सके थे।
4. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ काउंसलिंग शुल्क(Counselling Fee) भी जमा कर दिया था, जिन्हें कॉलेज भी आवंटित हुआ था, परंतु जो उम्मीदवार नियमित राउंड में सीट आवंटन के बाद सीट स्वीकृति शुल्क (Rs.2000) जमा नहीं कर सके थे।
5. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ काउंसलिंग शुल्क(Counselling Fee) भी जमा कर दिया था, जिन्हें कॉलेज भी आवंटित हुआ, उन्होंने नियमित राउंड में सीट आवंटन के बाद सीट स्वीकृति शुल्क(Rs.2000) भी जमा किया, परंतु सीट कन्फर्मेशन शुल्क (Rs.1000) जमा नहीं कर सके।
6. CET-BED-2019 के वैसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ काउंसलिंग शुल्क(Counselling Fee) भी जमा कर दिया था, जिन्हें कॉलेज भी आवंटित हुआ, उन्होंने नियमित राउंड में सीट आवंटन के बाद सीट स्वीकृति शुल्क (Rs.2000) एवं सीट कन्फर्मेशन शुल्क (Rs.1000) भी जमा किया, परंतु आवंटित कॉलेज में निर्धारित समय के बीच नामांकन हेतु उपस्थित नहीं हो सके।
7. CET-BED-2019 जिन अभ्यर्थियों ने सीट स्वीकृति शुल्क जमा किया है और जिनका आवंटित सीट किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण नियमित दौर में रद्द कर दिया गया है, लेकिन वे अभी भी प्रवेश के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करते हैं।

(B) स्टेट स्पॉट राउंड के लिए रिक्तियां (Vacancy for State Spot Round)

कॉलेज वार रिक्त स्थानों की घोषणा दिनांक 12.06.2019 को की जाएगी।

(C) स्टेट स्पॉट राउंड में भाग लेने के लिए पंजीयन (Registration for SSR Participation)

- i) SSR राउंड में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों को 13.06.2019 से 17.06.2019 के बीच ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से <https://biharcetbed.com> पर दिए गए लिंक पर पंजीकरण कराना होगा।
- ii) SSR के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया नियमित दौर की पंजीकरण प्रक्रिया के समान ही है। ध्यान दें कि सभी योग्य इच्छुक उम्मीदवारों को SSR में भाग लेने के लिए नया पंजीकरण करना होगा, भले ही उन्होंने नियमित दौर में पंजीकरण किया हो, भाग लिया हो या भाग नहीं लिया हो।
- iii) स्टेट स्पॉट राउंड(SSR) पंजीकरण और भागीदारी शुल्क: - तालिका 1 में SSR पंजीकरण और भागीदारी शुल्क उल्लेखित हैं :-

तालिका 1

अभ्यर्थियों की श्रेणी (Candidates Category)	पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)	SSR भागीदारी शुल्क (SSR Participation Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी	1000/-	2000/-	3000/-
पिछड़ी जाति(BC)/ अत्यंत पिछड़ी जाति(EBC) / पिछड़ी जातियों की महिलाएं (WBC)/ दिव्यांग (PwD) श्रेणी के अभ्यर्थी	750/-	2000/-	2750/-
अनुसूचित जाति(SC)/ अनुसूचित जनजाति(ST) श्रेणी के अभ्यर्थी	500/-	2000/-	2500/-

परंतु, जिन उम्मीदवारों के द्वारा पूर्व में ही, काउंसलिंग के नियमित राउंड में 2000 रुपये की राशि सीट स्वीकृति शुल्क(Seat Acceptance Fee) के रूप में भुगतान कर दिया गया है, उनके द्वारा जमा की गई इस राशि(Rs.2000) का समायोजन करने के उपरांत स्टेट स्पॉट राउंड(SSR) में भाग लेने के लिए पंजीकरण और भागीदारी शुल्क के रूप में तालिका 2 में उल्लिखित SSR पंजीकरण और भागीदारी राशि जमा करनी होगी :-

तालिका 2

अभ्यर्थियों की श्रेणी (Candidates Category)	पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)	एसएसआर भागीदारी शुल्क (SSR Participation Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी	1000/-	समायोजित	1000/-
पिछड़ी जाति(BC)/ अत्यंत पिछड़ी जाति(EBC)/ पिछड़ी जातियों की महिलाएं (WBC)/दिव्यांग (PwD) श्रेणी के अभ्यर्थी	750/-	समायोजित	750/-

अनुसूचित जाति(SC)/ अनुसूचित जनजाति(ST) श्रेणी के अभ्यर्थी	500/-	समायोजित	500/-
---	-------	----------	-------

iv) स्टेट स्पॉट राउंड(SSR) के पंजीकरण और भागीदारी शुल्क की अदायगी एस.बी.आई. कलेक्ट (SBI Collect) के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

v) पंजीकरण शुल्क गैर वापसी योग्य है (Registration Fee is non-refundable)

vi) सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान सही और सत्यापित जानकारी ही दर्ज करें।

vii) "I Agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करने से पहले उम्मीदवारों को सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

viii) यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी वाली, गलत या असत्य पाई जाती है तो उस उम्मीदवार को आवंटित सीट, बिना किसी और संदर्भ के रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान की गई फीस को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार को अब प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है और कानूनी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है।

(D) स्टेट स्पॉट राउंड में कॉलेज विकल्प/पसंद भरना और उसे लॉक करना (SSR Choice Filling and Locking)

स्टेट स्पॉट राउंड के सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए नीचे दी गई समय सीमा के अंतर्गत अपने CET-BED-2019 खाते में लॉग इन करके अपने कॉलेज विकल्पों को ऑनलाइन भरना आवश्यक है।

SSR के लिए ऑनलाइन विकल्प भरना (Online choice filling for SSR)	18/6/2019 के 1 बजे पूर्वाह्न से 19/6/ 2019 के 8:00 अपराह्न तक (From 1am of 18/6/2018 to 19/6/2019 up to 8 pm.)
SSR के लिए विकल्पों की स्वचालित लॉकिंग (Automatic locking of choices for SSR)	19.06.2019 के अपराह्न 8:00 बजे से रात्रि के 11:45 तक) 19.06.2019 (From 8 to 11.45pm)

स्टेट स्पॉट राउंड में कॉलेज विकल्प/पसंद भरने और लॉक करने के लिए दिशानिर्देश नियमित दौर के समान ही हैं।

(E) स्टेट स्पॉट राउंड के लिए सीट आवंटन (SSR seat allotment)-

i) स्टेट स्पॉट राउंड के लिए पंजीकृत योग्य अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थियों के मेधा अंक उनके द्वारा दिए गए कॉलेज विकल्प एवं आरक्षण नियमों(जहां लागू हो) का अनुपालन करते हुए कॉलेज वार रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीट आवंटित किया जाएगा। यह आवंटन दिनांक 20/6/ 2019 को होगा।

ii) SSR सीट आवंटन के नियम नियमित राउंड (Regular Round) की तरह ही होंगे

iii) एक बार सीट आवंटित हो जाने के बाद, SSR शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी

(F) स्टेट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग/ दस्तावेज़ सत्यापन

i) अभ्यर्थियों को अपने SSR पंजीयन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत

कॉलेज विकल्प, नियम और शर्तें मुद्रित होंगी। इस प्रिंट कॉपी को उम्मीदवार स्वहस्ताक्षरित कर SSR के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग सेंटर पर जमा करेंगे।

ii) स्टेट स्पॉट राउंड के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की काउंसलिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग केंद्र में किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों, जिनमें वैसे भी अभ्यर्थी शामिल है, जो पहले भी नियमित दौर के किसी काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करा चुके हैं, को SSR की काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

iii) वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित नहीं होते हैं SSR के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

iv) दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, सभी दृष्टिकोण से योग्य व्यक्ति को SSR सीट आवंटन अनुशंसा पत्र जारी किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन अनुशंसा पत्र को सुरक्षित रखेंगे।

v) काउंसलिंग के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान निम्नांकित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा -

काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ की सूची:-

1. CET- B.Ed 2019 का एडमिट कार्ड।
2. CET- B.Ed 2019 का अंक पत्र।
3. कॉलेज आवंटन प्रपत्र (College allotment letter)
4. SSR पंजीयन फॉर्म की डाउनलोडेड कॉपी।
5. SSR पंजीकरण शुल्क(Registration Fee) एवं SSR भागीदारी शुल्क(Participation Fee) के भुगतान का बैंक चालान।
6. मैट्रिक का मूल अंकपत्र एवं मूल /औपबंधिक प्रमाण पत्र।
7. इंटरमीडिएट का मूल अंकपत्र एवं मूल /औपबंधिक प्रमाण पत्र।
8. स्नातक का मूल अंकपत्र एवं मूल /औपबंधिक प्रमाण पत्र।
9. स्नातकोत्तर(अगर है तो) का मूल अंकपत्र एवं मूल /औपबंधिक प्रमाण पत्र।
10. आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र।
11. आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया अद्यतन आय प्रमाण पत्र।
12. आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार होने पर सक्षम पदाधिकारीद्वारा निर्गत किया गया अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र।
13. सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत चयन होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र।
14. दिव्यांग कोटा के अंतर्गत चयन होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र।